न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
143 / 21	28.09.2021	24.01.2022

उनवान

1. हमीद खां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1. लेखराम वकील वादी की और से ।
2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–: निर्णय :–

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद काा सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–
वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 332 / 0.43, 335 / 0.22 हे. व खसरा नम्बर 336 / 792 / 0.18 हे. वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास विवादित आराजी है हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 1 बीघा 14 साबिक खसरा नम्बर 123 मिन रकबा 0–02 , 126 मिन रकबा 1 बीघा 12 से व हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 0–17 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 0–17 से तथा हाल खसरा नम्बर 326 / 792 / 0–14 साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 0–14बिस्वा से पैमूद हुआ है ।

जमाबन्दी सम्वत 2013–16 मे साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 3 बीघा के बाबत ,, बक्सी पुत्र फत्तू, जैयमल पुत्र साहबराम गुजर सा.देह पटटेदार साल 6 दर्ज हो रहा है तथा जमाबन्दी सम्वत 2015 मे साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 3 बीघा के बाबत छुटटा पि. बख्तावर मेव सा. थानाघोडा गैर मोरूसी साल 2 काश्त बक्सी पुत्र फत्तू,जैमेदा पुत्र साहबराम समभाग गुजर अंकन हो रहा है तथा भू. प्रबन्ध के पश्चात बनने वाली जमाबन्दीयो सम्वत 2034 मे बक्सी पुत्र फत्तू , जयमल पुत्र साहबराम गुजर सा. देह पटटेदार गैर खातेदार का अंकन हो रहा है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 मे खसरा नम्बर 332 रकबा 0.43 हे., 335 रकबा 0.22 हे., के बाबत हमीद पुत्र हुसैना मेव सा. देह खातेदार 1 / 2 हि. प्रहलाद, निहालसिह पि. बक्सी 1 / 2 हिस्सा गुजरान सा. देह पटटेदार इन्तकाल न. 744 दर्ज हो रहा है ।

गैर खातेदार निहालसिह पुत्र बक्शी का 1 / 4 हिस्सागैर खातेदारी का मिन वादी ने समस्त रकम चुकता कर जरिये इकरारनामा दिनांक 23.09.2012 का गैर खातेदारी का हिस्सा 1 / 4 मिन वादीने समस्त रकम चुकता कर जरिये इकरारनामा दिनांक 21.07.2017 को खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वक्त खरीद से वादी मौके पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । मिन वादी राज. सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार उक्त आराजी की कीमत जमा कोष कराकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है मिन वादी मौके पर काबिज काश्त है वादी का कब्जा घोषित किया जाकर राज्य सरकार के परिपत्रनुसार खातेदारी का सनद पटटा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतःवाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे:–

1. डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 332/0.43, 335/0.22 हे. व खसरा नम्बर 336/792/0.18 हे. वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार है जो जरिये इकरानामा के आधार पर काबिज है वादी का कब्जा घोषित किया जावे।
2. यह है कि हाल राजस्व रिकार्ड मे जो अंकन गैरखातेदारान के नाम का अंकन हो रहा है वह वादी के विरूद्व बातिल वो बेअसर है उसे राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार कीमत भूमि जमा कोष कराई जाकर अवैध हस्तानान्तरण का नियमन कर हजफ किया जावे। तथा वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।
3. दीगर दादरसी जो बनजदक अदालत हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

हमने वकील वाद का अवलोकन किया। प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार हाल 332 रकबा 1 बीघा 14 साबिक खसरा नम्बर 123 मिन रकबा 0—02 , 126 मिन रकबा 1 बीघा 12 से व हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 0—17 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 0—17 से तथा हाल खसरा नम्बर 326/792/0—14 साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 0—14बिस्वा से पैमूद हुआ है । विवादित आराजी 332 रकबा 0.43 हे. 335 रकबा 0.22 हे. का 1/2 हिस्सा एवं 336/792 रकबा 0.18 हे. का 1/4 हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 23.09.2012 एव 21.04.2017 के द्वारा कय किया है प्राप्त तहसीलदार किशगनढबास रिपोर्ट कमाक/राजस्व/2022/21 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा मोके पर वादी का कब्जा काश्त है चूकी आराजी मे वादी द्वारा विवादित आराजी को जर्ये इकरारनामा खरीद किया है मौके पर वादी का कब्जा काश्त है इसलिए प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी का है कब्जा बाखूबी रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास से सिद्व होता है इसलिए वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसगंत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है। वाद वादी काबिले डिकी करार पाता है ।

अतः आदेश है:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.43 हे. 335 रकबा 0.22 हे. कुल किता 2 का 1/2 हिस्सा एवं 336/792 रकबा 0.18 हे. का 1/4 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान के नाम का अंकन उक्त हिस्से तक कलमजन किये जाकर वादी को मुताबिक सनद खातेदारी अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.
143 / 21

प्रवेश तिथि
28.09.2021

निर्णय तिथि
24.01.2022

पर्चाडिकी

1. हमीद खां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

उनवान

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1. लेखराम वकील वादी की और से ।
2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.43 हे. 335 रकबा 0.22 हे. कुल किता 2 रकबा 0. 65 हे. का 1 / 2 हिस्सा एवं 336 / 792 रकबा 0.18 हे. का 1 / 4 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान के नाम का अंकन उक्त हिस्से तक कलमजन किये जाकर वादी को मुताबिक सनद खातेदारी अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे निर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जर्ये वाद हमीदखां बनाम सरकार मु.न. 143/21 निर्णय दिनांक 24.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	हमीदखां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खसरा नम्बर 332 रकबा 0.43 हे., 335 रकबा 0.22 हे. कुल किता 2 रकबा 0.63 हे. का 1/2 हिस्सा ,336/792 रकबा 0.18 है. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 57914160 से राशि 5920 रू. (पांच हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र)मद 0075 जी.आर.एन. 57914268 से राशि 2960 रू. (दो हजार नौ सौ साठ रूपये मात्र)मद 0049

नोट:– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर 332, 335 निहालसिह , प्रहलाद पुत्रान बक्शी के 1/2 हिस्से पर एवं खसरा नम्बर 336/792 निहालसिह , प्रहलाद पुत्रान बक्शी के 1/4 हिस्से पर जारी की गई। शेष गैर खातेदारान का हिस्सा बदस्तुर रहेगा।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास (अलवर)
किशनगढबास

कमाक/सम/2022/1601-04

दिनांक 31-01-22

प्रतिलिपि:–

1. .तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी हमीदखां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)